Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 3, May-June – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 28/05/2020 Accepted on : 15/06/2020 Publication Date: 30/06/2020

भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता का अध्ययन

मोहम्मद वसीम अकरम मोमिन
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
ई-मेलः- vaseemkatghora@gmail.com

सारांशः भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधार का प्रश्न स्वतंत्रता के पश्चात् हुए प्रथम लोकसभा चुनाव से ही बुद्धिजीवियों के चिंतन का विषय रहा है। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव सन् 1952 में सम्पन्न हुए। चुनाव को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया गया कि वह निष्पक्षता से चुनाव संचालित कराये। चुनाव आयोग ने इस कार्य में सफलता भी प्राप्त की, परंतु चुनाव के समय अनेक समस्याएँ तथा चुनौतियाँ आती रहीं है। जिनके समाधान हेतु प्रयास हुए है। चूंकि हमारा समाज प्रगतिशील है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों की प्रकृति भी समय के साथ बदलती रहती है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार के लिए समय-समय पर प्रयत्न किए जाते रहे है। चुनाव सम्पन्न कराने के दौरान चुनाव आयोग ने अनेक बार कठिनाइयों का सामना किया है। चुनाव के समय चुनाव कानूनों की दुर्बलता, राज्य सरकारों का उपेक्षापूर्ण कार्य, चुनाव में काले धन का भरपूर उपयोग, उम्मीदवारों द्वारा तय खर्च सीमा से अधिक व्यय, सरकारी तंत्र में तत्कालीन सरकारों का बेजा हस्तक्षेप व दुरूपयोग, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन आदि घटनाओं ने सम्पूर्ण चुनाव व्यवस्था और उसके प्रावधानों में परिवर्तन एवं चुनाव सुधार की दिशा में चिन्तन को गति प्रदान की है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने समय-समय पर अनेक तत्कालीन सरकारों को चुनाव सुधार सम्बन्धी अनेक सुझाव दिए। जिसमें कई सुधारों को तत्कालीन सरकार ने गंभीरता से लेकर उसे विधि सम्मत बनाने का कार्य किया। साथ ही साथ विभिन्न आयोग ने अपने सुझावों के माध्यम से चुनाव में हो रही गड़बड़ियों एवं वांछित सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की दिशा में न्यायालयों के प्रयास भी सराहनीय रहें है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों को द्वारा चुनाव सुधार के लिए कदम उठाए है। राजनीति में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर चुनाव में उम्मीदवार बनने पर रोक लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया जा चुका हो तथा उसे दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हो चुकी हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे निर्णयों के द्वारा भारत में राजनीतिक सुचिता लाने का प्रयास किया है। भारतीय प्रजातंत्र में होने वाले चुनाव सुधारों ने भारतीय जन-मानस में प्रजातंत्र के प्रति आस्था और विश्वास और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य किया है।

मुख्य शब्दः प्रजातंत्र, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त, चुनाव सुधार, मीडिया, राजनीतिक दल, मतदाता, मतदान दल।

१ प्रस्तावनाः-

भारत में चुनाव सुधार का प्रश्न स्वतंत्रता के पश्चात् हुए प्रथम लोकसभा चुनाव से ही बुद्धिजीवियों के चिंतन का विषय रहा है। चुनाव को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया गया कि वह निष्पक्षता से चुनाव संचालित कराये। निर्वाचन आयोग ने इस कार्य में सफलता भी प्राप्त की। परंतु निर्वाचन के समय अनेक समस्याएँ तथा चुनौतियाँ आती रहीं है। जिनके समाधान हेतु प्रयास हुए है। आज पर्यन्त सत्रह लोक सभा चुनाव व विभिन्न राज्यों के विधान सभा चुनाव सम्पन्न हो चुके है। प्रथम आम चुनाव से लेकर सत्रहवें आम चुनाव तक का लम्बा सफर भारतीय प्रजातंत्र ने तय किया है। चूंकि हमारा समाज प्रगतिशील है, इसलिए चुनाव में आने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों की प्रकृति भी समय-समय पर बदलती रहती है। भारतीय प्रजातंत्र में स्वतंत्र चुनाव तंत्र के महत्व को स्वीकार किया गया है। जिसके लिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनाव का निरीक्षण, नियन्त्रण और निर्देशन करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। **'चुनाव आयोग'** को निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के नाम से भी

जाना जाता है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य उतने ही चुनाव आयुक्त होंगे, जितने कि समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किए जाते है।

भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग का सदैव यह प्रयास रहा है कि चुनाव सम्बन्धी कार्य निष्पक्षता एवं बिना किसी हस्तक्षेप के निर्भिकता पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके। ताकि आम नागरिकों का प्रजातंत्र एवं उसके आधार चुनाव आयोग के प्रति आस्था बनी रहे। वर्तमान समय में चुनाव आयोग ने भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के भीतर सत्रह लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों (वे केन्द्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा का अस्तित्व है यथाः- दिल्ली एवं पाण्डिचेरी) में चुनाव कराने का लम्बा अनुभव प्राप्त हो गया है। इस दौरान चुनाव के संचालन एवं निर्देशन के दौरान चुनाव आयोग को चुनाव सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन समस्याओं को चुनाव आयोग द्वारा सरकारों के ध्यान में लाया जाता रहा है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालन के दौरान जो त्रुटियाँ नजर आती है उन्हे वह संसद को भेज देती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है, इसे चुनाव कार्य के निर्देशन एवं संचालन के सम्बन्ध में पर्याप्त शक्ति दी गई है। परन्तु भारत एक संसदीय प्रजातंत्रात्मक देश है। अतः यहां चुनाव सम्बन्धी नियम एवं कानून के बनाने एवं उसमें परिवर्तन का अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। चुनाव सम्बन्धी कानून निर्माण का अधिकार संसदीय विधि के अधीन प्रावधानित किया गया है। चुनाव कार्य हेतु विधी किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल संसद में ही किया जा सकता है। स्वयं चुनाव आयोग को भी चुनाव की पद्धति एवं नियमों में परिवर्तन का अधिकार नहीं है।

चुनाव आयोग का सदैव प्रयत्न करता रहा है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निर्भिक वातावरण में सम्पन्न हो। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों इस दिशा में विशेष ध्यान दिया है। भारत में अब तक मुख्य चुनाव आयुक्तों में टी. एन. शेषन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। टी. एन. शेषन दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उन्होंने प्रभावशाली तरीके से कार्य किया। उन्होने चुनाव आयोग की कमजोर पड़ चुकी भूमिका को पुनः नए सिरे से स्थापित किया। टी.एन. शेषन ने 12 दिसम्बर सन् 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ग्रहण किया। टी. एन. शेषन ने संविधान द्वारा चुनाव आयोग को प्रदत्त की गई शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। यही कारण है इससे पूर्व बहुत कम चर्चित चुनाव आयोग का नाम जन सामान्य के बीच जाना जाने लगा। आम नागरिक चुनाव आयोग के बारे में जानने के लिए जागरूक होने लगे। टी. एन. शेषन की कार्यप्रणाली ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को **'भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त'** से **'भारतीय प्रजातंत्र मे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त'** के रूप में पृथक तौर पर प्रतिष्ठित किया।

भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव आयोग ने समय-समय पर तत्कालीन सरकारों को चुनाव सुधार सम्बन्धी अनेक सुझाव दिए। जिनमें कई सुधारों को तत्कालीन सरकार ने गंभीरता से लेकर उसे विधि सम्मत बनाने का कार्य किया। भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की दिशा में न्यायालयों के प्रयास भी सराहनीय रहें है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों को द्वारा चुनाव सुधार के लिए कदम उठाए है। राजनीति में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर चुनाव में उम्मीदवार बनने पर रोक लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी मानकर दो वर्ष या उससे अधिक का दण्ड दिया जा चुका हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए इस प्रकार के निर्णयों ने भारत में राजनीतिक सुचिता लाने का कार्य किया है। भारतीय प्रजातंत्र में होने वाले चुनाव सुधारों ने भारतीय जन-मानस में प्रजातंत्र के प्रति आस्था एवं विश्वास को और अधिक सृढ़ढ़ करने का कार्य किया है।

२ साहित्य समीक्षाः-

भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता के संबंध में की गई साहित्य समीक्षा अग्रलिखित हैः-

सिवाच, जे. आर. ने अपनी पुस्तक ''भारत की राजनीतिक व्यवस्था'' में निर्वाचन तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रजातंत्र में निर्वाचन द्वारा किसी भी राजनैतिक दल या गैर-राजनैतिक दल के व्यक्ति को सत्ता चलाने की वैधानिकता प्राप्त होती है। चूंकि प्रजातंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही सत्तासीन होते है, ऐसे में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। निर्वाचन व्यवस्था प्रजातंत्र का प्राण है।

कोठारी, रजनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "भारत में राजनीति" में कहा है कि भारत में राजनैतिक नेतृत्वकर्ता साधारण जनता से कई श्रेणी ऊंचे वर्गो से आते हैं। जन-प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति के साथ ही यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उनके दलों में समाज के किस समूह का प्रतिनिधित्व हुआ है। साथ ही अपने चुनाव क्षेत्र में उनको कितना और किस प्रकार का समर्थन प्राप्त है। भारत में विभिन्न राजनैतिक दलों की विचारधारा का मोटे तौर पर पता चलता है।

लक्ष्मीकांत, एम. ने अपनी पुस्तक "भारत की राजव्यवस्था" के आठवें परिशिष्ट में निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता का वर्णन किया है। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा सूत्रित 'राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों' के मार्ग-दर्शन के लिए 'आदर्श आचार संहिता' को ध्यान में रखकर यह पुस्तक आचार संहिता पर व्यापक जानकारी उपलब्ध कराती है। उक्त पुस्तक में उन्होंने बताया है कि सामान्य आचार संहिता के अंतर्गत कोई भी दल अथवा उम्मीदवार किसी ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहेगा, जिससे कि विभिन्न भाषाओं, जातियों एवं समुदायों के बीच पारस्परिक धृणा को बढ़ावा मिले और तनाव पैदा हो।

यादव, डी. एस. ने अपनी पुस्तक "भारतीय शासन एवं राजनीति" में भारत में राजनैतिक दलों के भारत में निर्वाचन प्रणाली में सहभागिता के बिंदुओं पर चर्चा की है।

मिश्र, आर. के. ने "भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल" में भारत में क्षेत्रीय राजनैतिक दलों की कार्यप्रणाली को बताया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय राजनैतिक दल के चुनाव में भूमिका पर भी प्रकाश ड़ाला है।

उपर्युक्त संदर्भ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में भारतीय प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार, अपराध, धन एवं बल ने अपनी जड़े गहरी जमा रखी है और इसे हटाने अथवा इसके रोकथाम के लिए राजनैतिक दलों में किसी भी प्रकार की तत्परता दिखाई नहीं पड़ती है। जातिवाद और सांप्रदायिकता इत्यादि ऐसे ज्वलंत मुद्दे है जो कि भारतीय राजनीति को चारो ओर से घेरे हुए है। वर्तमान समय में भारतीय राजनेताओं की साख आम जनता में गिरती हुई प्रतीत हो रही है।

३ अनुसंधान के उद्देश्यः

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय प्रजातंत्र के भीतर चुनाव व्यवस्था में होने वाले सुधारों का अध्ययन करना। साथ ही चुनाव सुधारों के पश्चात् भारतीय चुनाव व्यवस्था में आये परिवर्तनों का अध्ययन करना। चुनाव आयोग द्वारा किये गये चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना। चुनाव में सम्मिलित हितग्रहियों यथा- मतदाता, राजनीतिक दल एवं मतदान दल के परिपेक्ष्य में चुनाव सुधार की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

४ अनुसंधान की पद्धतिः

किसी भी अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उसकी रूपरेखा पहले ही तय कर लिया जाये। एक भवन का निर्माण तभी अच्छे से हो सकता है, जब उसकी रूपरेखा या नक्शा पहले ही तय की जाए। उसे किस चीज से बनाना है, यह पूर्व में ही तय कर लिया जाता है। अतः यहाँ हमनें **"भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता का अध्ययन"** पर शोध पत्र प्रस्तुत किया है। भारत में चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता के अध्ययन में हमनें द्वितीयक स्त्रोंतों के अंतर्गत प्रकाशनों, संबंधित पुस्तकों, अनुसंधान-ग्रंथों, जनगणना-रिपोर्ट, पत्र-पत्रिकाओं एवं मैगजीन आदि द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में अब तक किए गए सुधार एवं परिवर्तन की जानकारी एकत्र कर उनका समग्र रूप से ऐतिहासिक, वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि का प्रयोग कर निष्कर्ष तक पहुचनें का प्रयास किया है। साथ ही अध्ययन में हमने प्राथमिक स्त्रोत के रूप में साक्षात्कार पद्धति, अवलोकन, एवं निर्देशन पद्धति का उपकरण के रूप में प्रयुक्त कर भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर हमने अपने सुझाव शोध पत्र के माध्यम से देने का प्रयास किया है।

५ व्याख्याः

भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधार हेतु चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के साथ-साथ संसद द्वारा किए गए प्रयास उल्लेखनीय है। सन् 1990 के दशक के बाद चुनाव आयोग की भूमिका में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव सुधारों का सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है। न्यायालयों ने अपने निर्णयों में भी चुनाव आयोग को संवैधानिक क्रियाकलापों को सही ठहराकर चुनाव सुधारों द्वारा पड़ने वाले समाजिक एवं आर्थिक प्रभावों पर दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय दिया है। चुनाव आयोग द्वारा तत्कालीन सरकारों के विरूद्ध सख्ती करने से चुनाव

प्रक्रिया में सरकारों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिली है। चुनाव आयोग ने कई बार तत्कालीन सरकारों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंधन के कारण नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार द्वारा प्रशासनिक हस्तक्षेप हेतु उठाए गए कदम को रोककर उन सरकारों के आदेश के विरूद्ध निर्णय लेकर चुनाव को निष्पक्ष व स्वतंत्र वातावरण में पूर्ण कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है।

चुनाव आयोग के साथ ही न्यायालयों ने भी चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चुनाव में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम लगाने के, धन-बल द्वारा चुनाव को प्रभावित करना व राजनीति में भ्रष्टाचार के बोलबाला को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिनसे हुए चुनाव सुधारों का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा कि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में यदि दोषी सिद्ध हो जाता है, तो वह सांसद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत बनाए गए कानून की धारा 8 (ब) के में कई विसंगतियाँ है। इस कानून के तहत दो साल की सजा पाने वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी याचिका अपील के रूप में ऊपरी न्यायालय में विचारधीन हो। न्यायालय के अनुसार इस कानून का लगातार दुरूपयोग किया जा रहा था। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सांसद या विधायक अपने पद पर रहते हुए दोषी सिद्ध होते है या उन्हे दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो यदि उनकी अपील ऊपरी अदालत में लम्बित है, तो वह अपने शेष कार्यकाल के लिए इस आधार पर अपने पद पर बने रह सकते है। परन्तु कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् वह चुनाव नहीं लड़ सकते।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो वर्ष की सजा पाने वाले सांसद, विधायक या किसी भी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने के निर्णय ने ऐतिहासिक तौर पर न्यायालय की नज़ीर प्रस्तुत की। सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय ने देश के भीतर भविष्य एक अपराधमुक्त प्रजातन्त्र बनाने की दिशा में गम्भीर प्रयास माना जाता है। इस निर्णय का एक पहलू यह भी है कि इसके अंतर्गत दो वर्ष से कम सजा पाने वालों को इस चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है। फिर भी यह निर्णय भारतीय राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में नेताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को संगीन अपराध में दोषी सिद्ध किए गए आदेश पर ऊपरी न्यायालय द्वारा स्टे (रोक) मिल जाए, तो दोषी सिद्ध किया जा चुका व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। ऊपरी अदालत द्वारा स्टे (रोक) मिल जाने के बाद किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने हेतु आयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को सीमित किया हो परन्तु इस ऐतिहासिक निर्णय को समूचे देश में राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का दूरगामी सामाजिक प्रभाव पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कर समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया। इस निर्णय से आम जनता की प्रजातन्त्र के प्रति आस्था और बढ़ी। जिससे आने वाले वर्षों में जनता मताधिकार के प्रयोग एवं राजनीति में सक्रिय सहभागिता हेतु तत्पर हो गई।

नकारात्मक मताधिकार चुनाव में मतदाताओं को मिलने से चुनाव सुधारों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों का सूत्रपात हुआ है। अब मतदाता यदि चाहे तो चुनाव में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों समेत सभी उम्मीदवारों को नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं / None Of The Above) का विकल्प चुनकर सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकता है। मतदाताओं को नकारात्मक मताधिकार सौपनें हेतु नागरिक अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दाखिल की। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए लौटा दिया कि मतदाताओं को नकारात्मक मताधिकार सौपनें का कार्य संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। नकारात्मक मताधिकार के समर्थन में चुनाव आयोग ने 10 दिसम्बर 2001 व 5 जुलाई 2004 को केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित किया था। चुनाव आयोग ने अपने पत्र के माध्यम से नकारात्मक मताधिकार की सिफारिश की थी। साथ ही इसके लिए कानूनी प्रावधान करते हुए नियम बनाने की माँग की थी। चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित करते समय यह भी बताना चाहिए कि कितने मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों को नकारने हेतु नकारात्मक मताधिकार का प्रयोग किया।

चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाताओं को नकारात्मक मताधिकार के सम्बन्ध में चुनाव आयोग की संस्तुति देने के उपरान्त चुनाव सुधारों के लिए पहल का कार्य केन्द्र सरकार की ओर मोड़ दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार का पक्ष रखने वाले महान्यायावादी को निर्देशित किया कि वह अन्य देशों में प्रदत्त नकारात्मक मताधिकार के बारे में जानकारी एकत्र

कर उसे अवगत कराए। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों विधायिका का स्थान नहीं ले सकते। अतः चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में मूलभूत व दूरगामी सुधार का कार्य विधायिका के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही कर सकते है। इसका कारण यह है कि संसदीय लोकतन्त्र में वे जनता की इच्छा और जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम होते है। इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र में प्रथम आम चुनाव से लेकर सत्रह आम चुनाव के बीच समय-समय पर अनेक चुनाव सुधार हुए है। जिसने जनता को अपने नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। साथ ही जनता को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता हेतु भी प्रेरित किया है।

६ उपसंहारः

भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधार हेतु चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय तथा वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बहुत हद तक सफलता मिली है। साथ ही जन-मानस की राजनीतिक जागरूकता तथा मताधिकार द्वारा भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। चुनाव सुधारों का गहरा समाजिक व आर्थिक प्रभाव पड़ा है। परन्तु चुनाव सुधारों के लिए विधायिका के सदस्यों को कानून बनाने के लिए बाध्य करना एक प्रमुख समस्या है। चुनाव सुधारों में पड़ने वाले प्रभाव से वे जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर प्रभावित होंते है। ऐसी स्थिति में उनसे चुनाव सुधार के सम्बन्ध में कठोर नियम निर्माण कराना अत्यधिक कठिन कार्य है। यह केवल तब ही सम्भव है जबकि चुनाव सुधारों हेतु जनता के द्वारा प्रचण्ड दबाव बनाया जाए या राजनीतिक दलों के भीतर कुछ नये स्वर उभरे। इन दोनों की माध्यम से जनप्रतिनिधियों को चुनाव सुधार हेतु बाध्य कराया जा सकता है। जनता द्वारा प्रचण्ड दबाव बनाने की आश्यकता हो या राजनीतिक दलों के भीतर नये स्वर की आश्यकता हो, इन दोनों ही कार्य में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया के द्वारा समय-समय पर चलाए गए राजनीतिक शिक्षण के द्वारा ही राजनीतिक दलों के भीतर भी नये स्वर को बल मिला है। अस्सी के दशक में मीडिया ने तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल का मुखर होकर विरोध किया था। विश्व के कई प्रजातान्त्रिक देशों में मीडिया ने जन-साधारण को जनता के मुद्दों पर एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। जनमत के निर्माण में मीडिया के भूमिका को पाश्चात्य देशों में भी स्वीकार किया जाता रहा है। यही कारण है कि मीडिया के महत्व को देखते हुए इसे 'शासन के चतुर्थ स्तम्भ' की संज्ञा दी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि चुनाव सुधारों का सामाजिक व आर्थिक रूप से अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही चुनाव सुधार की प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका अत्यंत प्रासंगिक है। भारत में प्रारंभ से अब तक अनेक चुनाव सुधार किए जा चुके है परन्तु वर्तमान समय में कुछ महत्वपूर्ण चुनाव सुधार अब भी किए जाने अपेक्षित है।

७ सुझावः

प्रस्तुत शोध पत्र में हमने भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव सुधारों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया है। जिसमें हमारे सुझाव अग्रलिखित बिन्दुवार उल्लेखित हैः-

- विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ कराए जाए। जिससे चुनाव के दौरान होने वाले धन के व्यय व राष्ट्रीय संसाधनों की बचत हो सके।
- यदि कोई उम्मीदवार मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान कराने का दोषी पाया जाए, तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त करके आगामी चुनावों हेतु अयोग्य घोषित किया जाए।
- चुनाव में धन के दुरूपयोग को समाप्त किया जाए।
- मतदान की सुविधा ऑन लाईन माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। जिससे जो मतदाता अपने मतदान क्षेत्र में ना हो वह भी ऑन लाईन माध्यम से मतदान कर सके।
- मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाए।
- मतदान के पूर्व मतदाता की पहचान हेतु उच्च तकनीक का उपयोग किया जाए। मतदान स्थल पर ही मतदाता के रेटिना की पुष्टि के साथ-साथ अगूठे के निशान का पहचान करने की तकनीक को प्रयोग में लाया जाए।
- मतदान दल के सदस्यों को चुनाव के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति ना हो। इसके लिए उनके मोबाईल लेकर उन्हें वॉकी-टॉकी या ऐसा उपकरण दिया जाए, जिससे वे केवल चुनाव अधिकारियों से संपर्क में रहे उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क ना कर सकें।
- मदिरा पीकर मतदान करना वर्जित किया जाए। जिससे मतदान के दौरान मदिरा वितरण करने वाले उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके।

- राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूर्णतः आडिटिंग व सभी स्त्रोत के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करना अनिवार्य किया जाए।
- अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव के समय चिन्हित कर प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिससे की चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा ना हो।
- राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव के दौरान यदि किसी अवैधानिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। तब इसके लिए उम्मीदवार प्रकरण बनाया जाए तथा सम्बन्धित राजनीतिक दल से ऐसे उम्मीदवार को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाने का कारण भी पूछा जाए।
- नोटा को यदि चुनाव में सभी उम्मीदवारों से अधिक मत मिले तो सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के पराजित घोषित किया जाए।
- दल-बदल कानून का कठोरता से पालन हो। जिससे हार्स ट्रेडिंग जैसी घटनाओं को हतोत्साहित किया जा सके।
- चुनाव में उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- चुनाव के समय मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग द्वारा पैनी नज़र रखी जाए। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या समूह द्वारा चुनाव से सम्बन्धित कोई भ्रामक सूचना फैलाई जाती है, तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाए।
- एक उम्मीदवार, एक समय में केवल एक ही चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाए। एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से एक साथ उम्मीदवारी को पूर्णतः समाप्त किया जाए।
- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी सिद्ध होने पर उम्मीदवार को भविष्य में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

(1) शर्मा, ए. *भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन.* जयपुर: अनुसंधान एवं विशद् अध्ययन संस्थान, 1994.
(2) कोठारी, आर. *भारत में राजनीति.* नई दिल्ली: ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राईवेट लिमिटेड, 2016.
(3) ग्रोवर वी. *पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया.* दिल्ली: दीप पब्लिकेशन, 1988.
(4) वाजपेयी, ए. *भारतीय निर्वाचन पद्धति एक समीक्षात्मक अध्ययन.* नई दिल्ली: नादर्न बुक डिपो, 1992.
(5) सिवाच, जे. आर. *भारत की राजनीतिक व्यवस्था.* पंचकुला: हरियाणा साहित्य अकादमी, 2002.
(6) मिश्र, आर. के. *भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन, 2011.
(7) लक्ष्मीकांत, एम. *भारत की राजव्यवस्था.* नई दिल्ली: मैकग्रॉ हील एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2014.
(8) यादव, डी. एस. *भारतीय शासन एवं राजनीति.* नई दिल्लीः रजत पब्लिकेशन, 2010.
(9) शर्मा, वी. पी. *रिसर्च मेथडोलॉजी.* जयपुर: पंचशील प्रकाशन, 2010.
(10) गुप्ता, एस. पी. *अनुसंधान संदर्शिका.* इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन, 2015.
(11) गोस्वामी, ए. बी. *भारत में चुनाव सुधार दशा एवं दिशा.* जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर, 2001.